

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या—टी 1/स्था0 (अनु0)—190/2008—.....**950**.....पटना, दिनांक— **11.05.18**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, एतद्वारा, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनुदेशक संवर्ग (अराजपत्रित पदों) की भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली—2018

भाग— I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—

(1) यह नियमावली “बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली—2018” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :— इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो —

(i) “संवर्ग” से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग;

(ii) “कोटि” से अभिप्रेत है, नियम—3 में विनिर्दिष्ट कोटि;

(iii) “सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति” से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(iv) “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान” से अभिप्रेत है बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान;

(v) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना;

(vi) “परिवीक्षाधीन” से अभिप्रेत है अनुदेशक संवर्ग कोटि में परिवीक्षाधीन रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(vii) वरीयता सूची से अभिप्रेत है संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा;

(viii) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0 आई0 टी0 एस0) से अभिप्रेत है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षित अनुदेशकों की तैयारी हेतु राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की प्रशिक्षण योजना;

- (ix) किसी व्यवसाय के लिए शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0आई0टी0एस0) के अधीन एक वर्षीय प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र अथवा मॉड्यूलर पैटर्न की दशा में सभी विहित मॉड्यूलस के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये संयुक्त प्रमाण पत्र;
- (x) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0भी0टी0) से अभिप्रेत है, सम्पूर्ण भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0जी0 टी0) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित परिषद;
- (xi) किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है, उस व्यवसाय में ऑल इण्डिया ट्रेड टेस्ट के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। किसी अभ्यर्थी के लिए सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स स्कीम के अधीन किसी क्षेत्र (सेक्टर) में प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर सभी तीनों मॉड्यूलों अर्थात् ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस मॉड्यूल और स्पेशलाइज्ड मॉड्यूलों में सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र के संघटक रूप होंगे;
- (xii) किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एन0 ए0 सी0) से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र;
- (xiii) व्यवसाय से अभिप्रेत है, कोई व्यवसाय या पेशा, जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाय ;
- (xiv) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार (श्रम संसाधन विभाग);
- (xv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग;
- (xvi) मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) से मान्यता प्राप्त संस्थान।

3. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग का स्तर एवं कोटियाँ :-

- (1) बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग राज्य स्तर का होगा और इसके सदस्य राज्य स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक होंगे। इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे :-
- (i) व्यवसाय अनुदेशक, ड्राईंग अनुदेशक, वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साईस अनुदेशक, अनुरक्षण अनुदेशक इलेक्ट्रिकल, अनुरक्षण अनुदेशक मैकेनिकल, अनुदेशक स्टेनोग्राफी हिन्दी एवं अनुदेशक स्टेनोग्राफी अंग्रेजी। उपरोक्त सभी पद इस संवर्ग के मूल कोटि के पद होंगे।
- (ii) ग्रुप अनुदेशक (प्रोन्नति का सोपान)

- (2) (i) संवर्ग की विभिन्न कोटियों में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।
- (ii) मुख्य अनुदेशक/तकनीकी सहायक एवं सहायक अधीक्षक के पद संयुक्त रूप से ग्रुप अनुदेशक पद के नाम से जाने जायेंगे। पूर्व के पद इस हद तक संशोधित होंगे।
- (iii) इस संवर्ग के पदों का पदबल तथा वेतनमान राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी।

सीधी भर्ती

4. भर्ती का स्रोत :- संवर्ग में सीधी भर्ती, मूल कोटि में लिखित परीक्षा के आधार पर, आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायगी ।

(क) पद का सोपान, नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु/अनुपात, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव-

क्र० सं०	पदनाम/ग्रेड	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	प्रोन्नति का सोपान	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव	सुसंगत व्यवसाय में प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता।
(I)	व्यवसाय अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	प्रत्येक व्यवसाय में अनुदेशक के दो पद में से एक पद इंजिनियरिंग में डिग्री/डिप्लोधारी उम्मीदवारों के लिए एवं एक पद राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी उम्मीदवारों के लिए होगा और तदनुसार अर्हताएँ क्रमशः निम्न प्रकार होंगी :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग के सुसंगत ब्राँच में चार वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री के साथ किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग के सुसंगत ब्राँच में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। (ii) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव।	संबंधित व्यवसायों में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण पत्र।

(II)	(i)अनुरक्षण अनुदेशक (मैकेनिकल) (ii) अनुरक्षण अनुदेशक (इलेक्ट्रिकल)	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव का न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव । अथवा मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 03 (तीन) वर्ष का डिप्लोमा एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव का न्यूनतम 02 (दो) वर्षों का अनुभव । (ii) संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव का न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव ।	संबंधित व्यवसायों में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण पत्र ।
(III)	ड्राईंग अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री एवं न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव । अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं न्यूनतम 02 (दो) वर्षों का अनुभव । (ii) एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शा नबीश (यांत्रिक) ड्राफ्ट मैन के व्यवसाय में प्रमाण- पत्र एवं न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव ।	संबंधित व्यवसायों में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ROD&A (Reading o Drawing and Arithmetic) प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र ।

(IV)	वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साईन्स अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 02 (दो) वर्ष का अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री एवं न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।	शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ROD&A (Reading of Drawing and Arithmetic) प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र।
(V)	स्टेनोग्राफी हिन्दी / अंग्रेजी अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	स्टेनोग्राफी (हिन्दी / अंग्रेजी) में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव सहित। अथवा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस / बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा या समकक्ष, न्यूनतम 02 (दो) वर्षों का अनुभव सहित। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री, न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव सहित।	संबंधित व्यवसायों में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण पत्र।

नोट :- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0भी0टी0), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार (डी0जी0टी0) द्वारा व्यवसाय अनुदेशक की सीधी नियुक्ति के लिए समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हताएँ एवं अनुभव, राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ निर्गत अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।"

(ख) कालावधि :- संवर्ग के विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

5. **रिक्तियों का निर्धारण :-** राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रिल को संवर्ग सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रिक्तियों का अलग-अलग निर्धारण करेगी। रिक्तियों की अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जायेगी।
6. **विज्ञापन :-** सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग समय-समय पर उन रिक्तियों को भरने की अनुशंसा देने हेतु यथोचित शीति र विज्ञापित करेगी।
7. **उम्र सीमा:-** सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा अधियाचना के वर्ष की 1ली अगस्त को 21 (इक्कीस) वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
8. **आरक्षण:-** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 एवं इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विहित नियमावली एवं रोस्टर नियुक्ति एवं प्रोन्नतियों पर लागू होंगे।
9. **नियोजन की प्रक्रिया :-**(क) भारत सरकार डी0जी0टी0 द्वारा निर्गत प्राधानानुसार एन0सी0भी0टी0 से संबंधन प्राप्त औ0 प्र0 संस्थानों में अनुदेशकों के योग्यता के मानदण्ड के अनुसार प्रति दो (1+1) युनिट एक अनुदेशक सुसंगत शाखा में डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अनुदेशकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के संबंध में अधियाचना आयोग को दो भागों में भेजी जायेगी। प्रत्येक ट्रेड में रिक्तियों के आधार पर प्रति दो (1+1) यूनिट (प्रति दो पद) में से एक पद डिग्री / डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए होगा एवं एक पद आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए होगा। यदि किसी ट्रेड में दो के गुणात्मक संख्या से एक अतिरिक्त पद शेष बच जाता है, तो वह पद डिप्लोमा / डिग्रीधारी उम्मीदवारों के लिए अधियाचना में भेजा जायेगा।
- (ख) डिग्री / डिप्लोमाधारी एवं आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अनुदेशकों को नियुक्ति की अधियाचना रिक्तियों के अनुसार एक आरक्षण वर्गवार आयोग को एक संव्यवहार में भेजी जायेगी।
- (ग) डिग्री / डिप्लोमाधारी तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण दोनों अधियाचनाओं के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (घ) आयोग एक ही तिथि को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर दोनों अधियाचनाओं के उम्मीदवारों का चयन कर अपनी अनुशंसा नि0 एवं प्र0, श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेगा।

- (ड) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 8025, दिनांक 21.05.2013 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्यायना के विरुद्ध पूर्व में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत रहे वैसे अनुदेशक जो नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता पूरी करते हों, को उनके द्वारा किये गये संतोषप्रद सेवा के लिए छः माह से ऊपर की अवधि को एक पूर्ण वर्ष मानते हुये प्रत्येक वर्ष के लिए 5 (पाँच) अंक, अधिकतम 30 (तीस) अंकों की अधिमानता दी जायेगी। उक्त अधिमानता को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं उम्र अधिक होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन अनुभव पर उनके द्वारा पूर्व में सम्पादित सेवा की अवधि के समतुल्य छूट दी जा सकेगी।
- (च) वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे परन्तु यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर अपने व्यवसाय में सी0आई0टी0एस0 का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हों तो उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए एक वर्ष और अनुमान्य किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर सी0 आई0 टी0 एस0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जायेगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। डिग्री/डिप्लोमाधारक जिन्होंने CITS ट्रेनिंग के प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, इन्हें CITS ट्रेनिंग के द्वितीय सेमेस्टर का ही प्रशिक्षण नियुक्ति के तीन वर्षों के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (छ) चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जायेगी :-
- (i) लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।
 - (ii) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (एन0 टी0 सी0)/शिक्षता प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।
 - (iii) सी0 आई0 टी0 एस0 परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा।
- (ज) एक संव्यवहार में डिग्री/डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री/डिप्लोमा के अनुशंसित उम्मीदवारों को आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जायेगा।
- (झ) आयोग द्वारा नियम 9 (छ) तथा उसमें 9 (ड) के प्राप्तांक (यदि कोई हो) को जोड़कर उसके अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची कंडिका-(ज) के आलोक में समेकित कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं उसे निदेशालय को नियुक्ति हेतु प्रेषित करेगी।

10. **परीक्षा शुल्क** :- उम्मीदवार द्वारा आयोग का निर्धारित शुल्क देय होगा।
11. **परिवीक्षा अवधि** :- (1) सभी सीधी नियुक्तियाँ परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी। इसकी अवधि दो वर्ष की होगी।
(2) यदि किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी का कार्य या आचरण सभी प्रकार संतोषप्रद नहीं हो तो अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि वर्धित अवधि में भी कार्य, आचरण संतोषप्रद नहीं हो तो उसे यथास्थिति पदमुक्त किया जा सकेगा।
(3) विभागीय परीक्षा-परिवीक्षा अवधि में सीधी भर्ती से नियुक्त अनुदेशकों से ऐसी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाय।
12. **प्रशिक्षण** :- परिवीक्षा अवधि में व्यवसाय अनुदेशक को ऐसे सभी प्रशिक्षण भाग लेना आवश्यक होगा, जो उनके लिए विनिश्चित की जाती है।
13. **सम्पुष्टि** :- परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद ढंग से पूरी हो जाने तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।
14. **अनुदेशक कोटि में वरीयता का अवधारण** :-
(1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा व सदस्यों की पारस्परिक वरीयता उस तिथि से पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार विनियमित की जाएगी :
परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उस तिथि से पूर्व विशिष्टतः अवधारित न की गई हो तो उनकी वरीयता का अवधारण संवत् नियन्त्री प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
(2) किसी ग्रेड में स्वतः सम्मिलित सभी अनुदेशक उन सभी अनुदेशकों से वरीय होंगे, जिनकी उस ग्रेड में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हुई हो।
(3) नियत तिथि के बाद किसी ग्रेड में सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता सिर्फ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मेधा सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी।
(4) एक संव्यवहार में डिग्री/डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री/डिप्लोमा के अनुशंसित उम्मीदवारों को आई0 टी0 आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जायेगा।

भाग-3

प्रोन्नति

15. **प्रोन्नति** :- (1) इस संवर्ग में प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विचारणीय होगी।
(2) सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित सिद्धान्त एवं प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

16. **विभागीय प्रोन्नति समिति :-** (क) निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत ग्रुप अनुदेशक के पद पर प्रोन्नति के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नवत् गठित की जायेगी :-
1. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण - अध्यक्ष
 2. सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा नामित पदाधिकारी - सदस्य
 3. संयुक्त निदेशक (नियोजन)/वरीयतम उप निदेशक (नियोजन)/
(संयुक्त निदेशक नियोजन के अनुपलब्धता की स्थिति में) - सदस्य
 4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/
अनु० जनजाति का एक प्रतिनिधि पदाधिकारी - सदस्य
 5. अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधि पदाधिकारी - सदस्य
 6. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/वरीयतम उपनिदेशक प्रशिक्षण
(संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के अनुपलब्ध होने की स्थिति में) -सदस्य, सचिव

भाग-4 : प्रकीर्ण

17. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील :-** बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान इस संवर्ग पर भी लागू होंगे।
18. इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में जारी अन्य निर्णयों से शासित होंगी।
19. इस नियमावली के किसी नियम के निर्वचन में किसी संशय की स्थिति में उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
20. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो कठिनाईयों के निराकरण के लिये आवश्यक एवं समीचीन हो।
21. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-** (1) विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत इस संवर्ग से संबंधित वर्तमान नियमों/विनियमों/अनुदेशों एवं आदेशों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों/विनियमों के अधीन की गयी कार्रवाई अथवा लिया गया निर्णय इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा ली गयी मानी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जब ऐसी कोई कार्रवाई की गयी अथवा कोई निर्णय लिया गया।
(3) इस निरसन के होते हुये भी इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन तथा उस हद तक जब वे इस नियमवाली के प्रावधानों के विरुद्ध न हों, उसके अधीन प्रोद्भूत माना गया कोई अधिकार एवं उनके अधीन उपगत दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या-टी 1/स्था0 (अनु)0-190/2008.....950...../पटना, दिनांक-11.5.18

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बि
राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ निदेश
नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को भेजने हेतु अग्रसारित।

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या- टी 1/स्था0 (अनु)0-190/2008.....950...../पटना, दिनांक-11.5.18

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जि
पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महि
सहित)/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण/सहायक निदेश
परीक्षा/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या-टी 1/स्था0 (अनु)0-190/2008...../अधिसूचना सं०.....950 दिनांक-11.5.18

का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है
जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पा
समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

Government of Bihar
Labour Resources Department

Notification

No. T-1/Est.(Ins.)-190/2008-

950

/

Patna,

Dated---11.05.18

In exercise of the powers conferred under Provision to Article 309 of the Constitution of India, Bihar Governor is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and promotion of Instructor cadre (Non-Gazetted posts) in different Industrial Training Institutes of the State under the Directorate of Employment and Training (Training wing) of the Department of Labour Resources:-

Bihar Industrial Training Instructor cadre Manual – 2018

Part - 1

1. Short title, Extent and commencement:-

- (1) These Rules may be called the "Bihar Industrial Training Instructor Cadre Rules, 2018".
- (2) It will be expanded all over Bihar.
- (3) It shall come into force immediately.

2. Definitions:-

In this Rule unless there is anything repugnant to the subject or the context -

- (i) "Cadre" means the Bihar Industrial Training Instructor Cadre;
- (ii) "Category" means category specified in Rule-3;
- (iii) "Person appointed by direct recruitment" means a person recruited to the post of instructor on the basis of recommendations of the Bihar Staff Selection Commission by the competent authority;
- (iv) "Industrial Training Institute" means Government Industrial Training Institute of the State of Bihar;
- (v) "Appointing Authority" means Director, Employment and Training (Training), Bihar, Patna;
- (vi) "Probationer" means a person appointed in instructor cadre on probation;
- (vii) "Seniority list" means the seniority list of employees of instructor cadre which shall be maintained by the Directorate, Employment and Training (Training Wing) Bihar, Patna;
- (viii) "Craft Instructor Training Scheme (C.I.T.S.)" means Preparation of trained instructors for Industrial Training Institutes through training scheme of National Council of Vocational Training (NCVT);
- (ix) "Craft Training Certificate for any Trade" means Certificate provided by NCVT on successful completion of one year training under Craft Instructor Training Scheme (C.I.T.S.) Or combined certificate provided by NCVT for successful completion of specified modules under Modular Pattern;
- (x) "National Council for Vocational Training (N.C.V.T.)" means Council established by Directorate General of Training (DGT), Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Govt. of India to regulate vocational training all over India;

- (xi) "National Trade Certificate in any trade" means certificate provided by NCVT on successful completion of All India Trade Test in related trade. It will also include combined National Trade Certificate which is provided by NCVT on successful completion of training in all the modules e.g. Broad Based Basic Training, Advance Module and Specialized module under a sector of Centre of Excellence (CoE) scheme;
- (xii) "National Apprentice Certificate in any Trade" means certificate provided by NCVT on successfully passing of National Apprentice Examination;
- (xiii) "Trade" means any trade which is notified by National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training under Craftsmen Training Scheme for industrial or vocational training in Industrial Training Institute;
- (xiv) "State Government" means Government of Bihar (Labour Resources Department);
- (xv) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission/Bihar Technical Staff Selection Commission and
- (xvi) "Approved Institute" means Institute approved by All India Council of Technical Education.

3. **Cadre and categories of Bihar Industrial Training Instructor:-**

- (1) Bihar Industrial Training Instructor cadre will be of state level & its members will be the instructors of Industrial Training Institutes situated in the state. The posts of the following categories will be a part of this cadre:-
- (i) Trade Instructor, Drawing Instructor, Workshop Calculation & Science Instructor, Maintenance Instructor Electrical, Maintenance Instructor Mechanical, Stenography (Hindi) Instructor & Stenography (English) Instructor. All posts mentioned above shall be original cadre posts.
- (ii) Group Instructor (Stage of promotion)
- (2) (i) The persons appointed and working in different categories of the cadre, shall be deemed to be automatically included in this cadre.
- (ii) The post of Chief Instructor/Technical Assistant and Assistant Superintendent will be jointly known as Group Instructor. Former posts will be modified to this extent.
- (iii) Posts and Salary of this cadre will be revised by State Govt./Finance dept. from time to time.

Direct Recruitment

4. **Sources of Recruitment:-** The direct recruitment in this cadre will be made on the basis of recommendations of the commission based on the written examination in the basic category.

(A) Stage of posts, appointment/proportional ratio of promotion, Educational Qualification and Experience:-

Sl No.	Name of Post/Grade	proportional ratio of direct appointment & promotion respectively	Stage of Promotion	Minimum Educational/Technical Qualification & Experience for Direct Recruitment	Desirable Qualification to provide training and teaching in concerned Trades
(I)	Trade instructor	Cent Percent (100%) by Direct Recruitment	Group Instructor	Out of two posts of Instructors, in every trade one post will be for Degree/Diploma in engineering and another post will be for National Trade Certificate Holder/ National Apprentice Certificate Holder and accordingly their respective qualifications will be as follows:- (i) Four years Degree in Engineering in concerned branch from a recognized University/ Institute with minimum 01(one) year of working experience in any Industry or in the form of Teacher/Trainer. OR Three years Diploma in Engineering in concerned branch from a recognized University/Institute with minimum 02(two) years of working experience in any Industry or in the form of Teacher/Trainer. (ii) National Apprenticeship certificate or National Trade certificate in concerned Trades with minimum 03(three) years of working experience in any Industry or in the form of Teacher/Trainer.	One year passing Certificate under Craft Instructor Training Scheme in related Trades.

(II)	(i) Maintenance Instructor Mechanical (ii) Maintenance Instructor Electrical	Cent Percent (100%) by Direct Recruitment	Group Instructor	(i) Degree in Mechanical/Electrical Engineering from any recognized institute with minimum 01 (one) year experience in repairing & maintenance of machines from any factory registered under the Factory Act. OR Three years Diploma in Mechanical/Electrical Engineering from any recognized institute with minimum 02 (two) years experience in repairing & maintenance of machines from any factory registered under the Factory Act. (ii) National Apprenticeship certificate or National Trade certificate in concerned Trades with minimum 03(three) years experience of repairing & maintenance of machines from any factory registered under the Factory Act.	One year passing Certificate under Craft Instructor Training Scheme in related Trades.
(III)	Drawing Instructor	Cent Percent (100%) by Direct Recruitment	Group Instructor	(i) Degree in Mechanical Engineering from any recognized institute with minimum 01(one) year of experience. OR Diploma in Mechanical Engineering from any recognized institute with minimum 02 (two) years of experience. (ii) Certificate from NCVT recognized Map renew (mechanical) draughtsman trade with minimum 3 years of experience.	Training Certificate of ROD&A (Reading of Drawing & Arithmetic) in concerned trades under Craft Instructor Training Scheme.
(IV)	Workshop Calculation & Science Instructor	Cent Percent (100%) by Direct Recruitment	Group Instructor	Diploma in Civil/Mechanical /Electrical/Electronics Engineering from any recognized institute with 02(two) years experience. OR Degree in Civil/Mechanical/ Electrical /Electronics Engineering from any recognized institute with 01 (one) year experience.	Training Certificate of ROD&A (Reading of Drawing & Arithmetic) in concerned trades under Craft Instructor Training Scheme.

(V)	Stenography Hindi/English Instructor	Cent Percent (100%) by Direct Recruitment	Group Instructor	National Apprenticeship certificate or National Trade certificate in Stenography (Hindi/English) with minimum 03 (three) years experience. OR Diploma in Modern Office Management & Secretarial Practice /Business Administration or equivalent with minimum 02(two) years experience. OR Degree in Business Administration from any recognized institute with minimum 01(one) year experience.	One year passing Certificate under Craftsmen Instructor Training Scheme in concerned trades.
-----	--------------------------------------	---	------------------	--	--

Note:- For direct appointment of Trade Instructor, the minimum educational qualifications/technical qualifications and experience as determined by National Council for Vocational Training(NCVT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (DGT), Government of India from time to time shall be applicable from the date of notification issued by the State Government for this purpose.

- (B) **Kalawadhi (Time Period):-** The minimum time for the promotion for different categories of cadre will be the same as determined by State Government (General Administrative Department) from time to time.
- Determination of vacancies:** - The State Government will determine vacancies for direct appointment and promotion separately on 1st April every year. Requisition of vacancies will be communicated to the commission by 30th April.
 - Advertisement:** - The commission will periodically advertise commensurable to prevailing procedure in order to recommend filling up the vacancies upon receipt of vacancies for direct employment.
 - Age Limit:-** For direct appointment, the age of the candidate should not be less than 21 years as on 1st August of the requisition year and the maximum age shall be the same as prescribed by the General Administrative Department of the Government from time to time.
 - Reservation:** - Bihar Reservation of vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 and rules as well as rosters made under it by the State Government shall be applicable in appointment & promotion.
 - Process of Employment:** - (A) As per the provision issued for qualification of instructors for NCVT affiliated ITIs by DGT, Govt. of India for every two (1+1) unit, one Instructor must have Degree/Diploma in concerned branch of Engineering. For compliance of above mentioned directions regarding direct appointment on the post of instructor, requisition of vacancies will be sent to the Commission in two parts. Out of these two units, one post will be for the qualified candidates of Degree/Diploma and another post will be for ITIs passed candidates. If any post remains in addition to the multiple of two in any trade, that post will be sent in requisition of Degree/Diploma holder candidates in that trade.

- (B) Requisition for appointment of Degree/Diploma holders and ITI pass candidates in transaction will be sent to the commission as per reservation category wise vacancies.
- (C) There will be a separate syllabus for both requisitions of Degree/Diploma holders and ITI pass candidates. Syllabus of examination will be determined by the Commission.
- (D) The Commission will communicate and provide its recommendations to the Employment & Training, Labour Resources Department, after selection of candidate of both requisitions on the basis of written examination held on the same date.
- (E) According to Notification No.-8025 dtd- 21.5.2013 of General Administrative Department, as against the requisition sent by the state government for regular appointment on the vacant posts of Trade Instructors in Industrial training Institute under Directorate Employment & Training (Training Wing), Labour Resource Department, weightage of 05 (Five) marks for every year subject to maximum of 30 (Thirty) marks will be given by considering one complete year for the period above six months of satisfactory service to those instructors who have been employed and working on contract and who have all the prescribed qualifications for regular appointment. In the condition of excess age, relaxation of equivalent period will be given in maximum age for the experience of the period served in Directorate of Employment & Training (Training Wing).
- (F) Those applicants who do not have prescribed qualifications in different trades can also apply for appointment but if they are selected, they will have to complete the course of C.I.T.S. in their trade within 03 years from the date of acceptance of work charge and leave will be granted for that period. If any person is not able to complete the said course due to reasons beyond his control, one more year will be given to complete the said course. If any person is not able to obtain C.I.T.S. certificate in the said period, the first annual increment will not be given and Govt. will consider ending the service of such people and for that, no claim will be admissible. Degree/Diploma holder who has directly qualified the first semester of C.I.T.S. training, training of second semester C.I.T.S. training will be essential within 03 years of appointment.
- (G) The merit list of applicants for selection will be prepared as follows:-
 - (i) 50 percent of the percentage of marks obtained in written examination will be given to each candidate.
 - (ii) 20 percent of the percentage of marks obtained in National Trade Certificate (NTC)/Apprentice Certificate/Diploma Certificate/Degree Engineering Certificate will be given to each candidate.
 - (iii) 30 percent of the percentage of marks obtained in C.I.T.S. examination will be given to each candidate.
- (H) Upon receipt of recommendation for Degree/Diploma and ITI pass candidates in transaction, the recommended candidates of Degree/Diploma will be considered senior over ITI pass candidates.

- (I) The final merit list of selected candidates will be prepared by the commission as per Poir (H) by adding 9(G) and 9(E) marks (if any) and the same will be sent to Directorate of appointment.

10. **Examination Fees:** - Fees determined by the Commission will be payable by the candidates.

11. **Probation Period:** - (1) All direct appointment will be made on probation. This period will be of two years.

(2) If work and conduct of any probationary employee is not found satisfactory, for reason to be recorded in writing the probation period may be extended for one more year. If work and conduct of the employee is not found satisfactory during extended period, he may be dismissed from the post.

(3) Departmental Examination- Instructors appointed on probation by direct appointment may be required to pass such Departmental Examinations, which may be prescribed by the Government.

12. **Training:** - In probation period, it will be essential for the Trade Instructor to participate in all such Training as prescribed.

13. **Confirmation:** - On completion of probation period and passing out prescribed Departmental Examination, the service shall be confirmed.

14. **Conception of seniority of instructor category:** - (1) Before the date of the introduction of this manual, mutual seniority of the persons appointed in any grade of the service will be regulated by mutual seniority before the date as determined.

Provided that if seniority of any member or members of the service is not specifically determined before the specified date, then their seniority will be determined by the controlling officer of the cadre.

(2) All Instructors automatically included in any grade will be senior to those instructors whose appointment in that grade is after the prescribed date.

(3) After the prescribed date, mutual seniority of persons appointed in any grade by direct recruitment will be determined in the sequence of merit list of Bihar Staff Selection Commission.

(4) Upon receipt of Degree/Diploma and ITI pass candidates for recommendation in a transaction, the recommended candidates of Degree/Diploma will be considered senior over ITI pass candidates.

PART-III

PROMOTION

15. **Promotion:** - (1) Promotion in this cadre will be considerable on the basis of seniority-cum-merit and recommendation of Departmental Promotion Committee.

- (2) The seniority of the employees appointed in the service will be determined as per principles and procedure determined by the General Administrative Department from time to time.

16. **Departmental Promotion Committee:** - The Departmental Promotion Committee, for the promotion to the post of Group Instructor shall be constituted as follows:-

- | | |
|--|---------------|
| 1. Director, Employment & Training | - Chairperson |
| 2. Officer nominated by Secretary/Principal Secretary,
Labour Resources Department | - Member |
| 3. Joint Director (Employment)/senior most Dy. Director (employment)/
(In the absence of Joint Director (Employment)) | - Member |
| 4. Representative Officer of SC/ST nominated by General
Administrative Department | - Member |
| 5. Representative Officer of Minority community | - Member |
| 6. Joint Director, Training/Senior most Dy. Director Training/
(In the absence of Joint Director Training) | - Member |

PART – IV

Miscellaneous

17 **Discipline, Control and appeal:** - The provisions of Bihar Government servant (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable to this cadre.

18 Service conditions not specially provided in these Rules will be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued in the context of the employees of equivalent levels by the State Government, from time to time.

19 In case of confusion in interpretation of any provision of these rules, it will be referred to the State Government and the decision of the Department after consultation with the law Dept. shall be final.

20 If any difficulty arises in implementing the provisions of these rules, the State Government, by notification, may make such provisions, which are essential and expedient for removal of such difficulties.

21 **Repeal and Savings:** - (1) Present Rules and Regulations/Resolutions/Instructions and orders related to this cadre already issued by the department from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules and regulations resolution instruction and orders will be deemed to be done or taken under these rules as if these rules were enforced on the date on which such thing was done or such action was taken.

(3) Notwithstanding such repeal, any right deemed to be accrued under sub rule (1) of this Rule and to the extent when they are not repugnant to the provisions of these Rules and the responsibilities incurred under those shall not be affected.

By the order of Governor of Bihar,

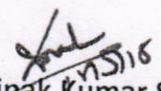

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to the Government

Memo No.T-1/Est.(Ins)-190/2008-----950-----/Patna,

Dated-----11.05.18

Copy - Forwarded to Superintendent, Secretariat Press, Guljarbagh, Patna for publication in ordinary Bihar Gazette and for sending 500 (Five Hundred) copies to The Director, Employment & Training (Training Wing).

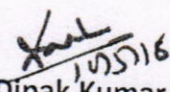

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to the Government

Memo No.T-1/Est.(Ins)-190/2008-----950-----/Patna,

Dated-----11.05.18

Copy - Forwarded to all Departments/Head of the Department/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/All Deputy Directors Training /All Principals, ITI (along with Women ITI)/Regional Inspecting Officer, Patna/All Assistant Director Training/Assistant Director, Examination/All Officers of Headquarter for information and necessary action.


(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to the Government

